**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1474**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**महिलाओं के विरुद्ध अपराध**

**1474. श्री संजय सिंहः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या राष्ट्रीय अपराध् रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के** **आंकड़ों अनुसार, देशभर में प्रतिदिन औसतन 91 बलात्कार, 289 अपहरण और 80 हत्याएं दर्ज की जाती है; और**

**(ख) महिलाओं के लिए और अधिक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी )**

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन ‘क्राइम-इन-इंडिया’ में अपराधों से संबंधित सूचना संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2018 तक के लिए उपलब्‍ध हैं। प्रकाशित सूचना के अनुसार, वर्ष 2018 के दौरान महिलाओं के बलात्‍कार, अपहरण और व्‍यपहरण तथा बलात्‍कार/सामूहिक बलात्‍कार के साथ हत्‍या के क्रमश: 33356, 72751 और 294 मामले सूचित किए गए थे।

(ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस’ और ‘लोक व्‍यवस्‍था’ राज्‍य के विषय हैं। कानून और व्‍यवस्‍था को बनाए रखने तथा महिलाओं सहित नागरिकों के जान-माल की रक्षा का उत्‍तरदायित्‍व संबंधित राज्‍य सरकारों का है। राज्‍य सरकारें कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्‍व देती है और उसने इस संबंध में कई पहलें की हैं, जो नीचे दी गई हैं:

1. यौन अपराधों के प्रभावशाली निवारण के लिए, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, जांच और विचारण को 2 महीनों के अंदर पूरा करने का भी अधिदेश दिया गया है।
2. आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली में सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्‍ट्रीय मान्‍य नम्‍बर (112) पर आधारित प्रणाली की व्‍यवस्‍था है, जिसमें कंप्‍यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्‍थान पर पहुंचाया जाता है।
3. गृह मंत्रालय ने अश्लील सामग्री की सूचना देने के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को नागरिकों हेतु साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है।
4. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। ये परियोजनाएं, राज्‍य सरकारों द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों में अवसंरचना, प्रौद्योगिकी को अपनाने और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्‍यम से समुदाय के क्षमता संवर्धन सहित महत्‍वपूर्ण संसाधनों के विकास हेतु महिलाओं के प्रति अधिक अपराध वाले स्‍थलों (हॉट स्‍पॉट्स) की पहचान की आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुए तैयार की गई हैं।
5. गृह मंत्रालय ने पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को “यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस” (एनडीएसओ) शुरू किया है।
6. सरकार ने निर्भया निधि से राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में पुलिस स्‍टेशनों में महिला सहायता डेस्‍क स्‍थापित करने के लिए भी एक स्‍कीम अनुमोदित की है।
7. उपर्युक्‍त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, जो [www.mha.gov.in](http://www.mha.gov.in) पर उपलब्‍ध हैं।

\*\*\*\*